भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2500
गुरूवार, 10 अगस्त 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

रोजगार संकट से निपटने के लिए कदम

2500. श्री मिथलेश कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा रोजगार संकट से निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बेरोजगार लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनमें महिलाओं और ग्रामीण लोगों का अनुपात कितना है;

(ख) क्या 'मेक इन इंडिया' के तहत नई नौकरियों के सृजन के लिए पूर्व में बजट के दौरान कोई घोषणा की गई थी, यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्थव्यवस्था को संतुलित करके मौजूदा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की उपयुक्त कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में, विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनःस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

'मेक इन इंडिया' पहल, 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने, श्रेणी के बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। अपने आरंभ से, 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कई गतिविधियाँ केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी की जा रही हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इस पहल से सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा इसको गति प्राप्त होती है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध पर दी गई है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 10.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2500 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आयु समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में): 15 वर्ष और उससे अधिक

वर्ष: 2021-22

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	4.1	2.5	3.5	6.0	7.2	6.3	4.6	3.5	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	6.5	7.9	6.9	9.5	19.5	12.1	7.0	9.5	7.7
3	असम	3.1	3.5	3.2	6.4	19.6	9.4	3.5	5.0	3.9
4	बिहार	6.0	1.8	5.5	10.0	12.8	10.3	6.4	2.8	5.9
5	छत्तीसगढ	1.9	0.8	1.5	6.6	8.8	7.2	2.8	1.8	2.4
6	दिल्ली	4.3	0.0	3.9	5.2	6.2	5.3	5.1	6.0	5.3
7	गोवा	10.7	19.0	12.5	9.3	20.1	11.7	9.9	19.7	12.0
8	गुजरात	1.9	0.7	1.5	2.8	2.9	2.8	2.3	1.3	2.0
9	हरियाणा	9.1	8.8	9.0	8.7	9.5	8.9	8.9	9.1	9.0
10	हिमाचल प्रदेश	4.5	2.6	3.6	4.9	17.3	8.7	4.6	3.4	4.0
11	झारखंड	2.0	0.1	1.2	5.6	8.0	6.1	2.7	0.8	2.0
12	कर्नाटक	2.8	1.1	2.3	4.6	6.3	5.0	3.4	2.5	3.2
13	केरल	6.9	12.4	9.0	7.9	15.0	10.3	7.4	13.5	9.6
14	मध्य प्रदेश	1.9	0.3	1.3	4.9	4.8	4.9	2.6	0.9	2.1
15	महाराष्ट्र	3.0	1.7	2.5	4.8	5.5	5.0	3.7	2.9	3.5
16	मणिपुर	7.8	14.4	9.5	6.8	9.8	7.6	7.6	13.0	9.0
17	मेघालय	0.9	2.4	1.5	6.9	12.3	8.9	1.8	3.7	2.6
18	मिजोरम	2.9	6.1	4.0	5.7	10.1	7.1	4.1	7.9	5.4
19	नागालैंड	7.7	7.3	7.5	11.8	19.8	14.6	8.6	9.8	9.1
20	ओडिशा	6.4	3.0	5.4	8.6	17.2	10.5	6.7	4.4	6.0
21	पंजाब	5.9	8.9	6.6	5.5	8.3	6.1	5.7	8.7	6.4
22	राजस्थान	4.2	0.9	3.0	10.1	13.2	10.8	5.8	2.5	4.7
23	सिक्किम	0.9	1.9	1.3	1.9	5.7	3.0	1.1	2.3	1.6
24	तमिलनाडु	4.9	3.1	4.2	5.6	5.8	5.7	5.2	4.0	4.8
25	तेलंगाना	3.1	3.0	3.1	5.4	11.3	6.9	3.9	4.8	4.2
26	त्रिपुरा	2.1	4.5	2.7	4.1	4.9	4.3	2.5	4.5	3.0
27	उत्तराखंड	9.2	2.8	7.0	9.2	16.4	10.6	9.2	4.7	7.8
28	उत्तर प्रदेश	2.5	1.0	2.1	6.3	8.9	6.7	3.3	1.8	2.9
29	पश्चिम बंगाल	3.7	1.3	3.1	4.7	3.5	4.4	4.0	1.8	3.4
30	अंडमान एवं उत्तर द्वीप	3.2	10.3	5.9	5.5	19.2	9.9	4.3	14.1	7.8
31	चंडीगढ़	5.7	1.0	5.0	5.9	8.3	6.3	5.9	8.0	6.3
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6.1	5.1	5.7	2.7	13.7	4.7	4.0	8.5	5.2
34	जम्मू एवं कश्मीर	2.4	5.8	3.7	7.8	25.8	12.9	3.4	8.5	5.2
35	लद्दाख	4.1	0.6	2.7	7.5	13.7	9.7	4.4	1.6	3.3
36	लक्षद्वीप	5.6	11.2	6.6	15.8	43.9	21.1	13.0	35.2	17.2
37	पुडुचेरी	10.9	2.7	7.5	4.4	4.8	4.5	6.8	3.7	5.8
अखिल भारत		**3.8**	**2.1**	**3.2**	**5.8**	**7.9**	**6.3**	**4.4**	**3.3**	**4.1**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।